लखनऊ:: दिनांक 11 अप्रैल, 2023

प्रेषक

के॰ रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव, उ॰प्र॰सूचना आयोग, लखनऊ

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, 30प्र0 वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ०प्र० सूचना आयोग का गठन के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू० 1901.25 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं/मदों पर ही किया जाय और किसी भी दशा में धनराशि का उपयोग नई सेवाओं और मदों पर न किया जाय।
- (2) यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनरिश का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वितीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्ति की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।
- (4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष िकये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06-06-1994 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी स्निश्चित किया जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग संलग्नक में दर्शायी गयी मदों में ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि का डाइवरजन बिना शासन की पूर्व अनुमित के कदापि न किया जाय तथा किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-46 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-30प्र0 सूचना आयोग का गठन के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। संलग्नकः- यथोक्त। भवदीय

ह०/ (के॰ रविन्द्र नायक) प्रमुख सचिव।

संख्या:- (1)/43-1-2023,तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र0, प्रयागराज।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अन्0-1
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अन्भाग-9
- 7- अन्भागीय आदेश प्स्तिका।

आज्ञा से, ह॰/ (डा॰ शील अस्थाना) संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश सं ०-02/2023/400/43-1-2023, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

			(धनरााश लाख म)
क्र॰सं॰	मानक मद	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24
	. 0	2023-24	के लिए निर्वतन पर रखी
		के लिए प्राविधानित	जा रही धनराशि
		धनराशि	(लाख रू॰ में)
		(लाख रू॰ में)	
1	2	3	4
1	01- वेतन	695.00	695.00
2	03- मंहगाई भत्ता	312.75	312.75
3	04- यात्रा व्यय	7.00	7.00
4	06- अन्य भत्ते	10.00	10.00
5	07- मानदेय	0.50	0.50
6	08- कार्यालय व्यय	110.00	110.00
7	09- विद्युत देय	80.00	80.00
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	17.00	17.00
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00	8.00
10	13- टेलीफोन पर व्यय	15.00	15.00
11	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00	40.00
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15.00	15.00
13	17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	15.00	15.00
14	18- प्रकाशन	1.00	1.00
15	19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00	2.00
16	22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.00	2.00
17	29- अनुरक्षण	76.00	76.00
18	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00
19	45- अवकाश यात्रा व्यय	20.00	20.00
20	46- कम्प्यूटर हाईवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00	15.00
21	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00	20.00
22	49- चिकित्सा व्यय	20.00	20.00
23	55- मकान किराया भत्ता	60.00	60.00
24	58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	350.00	350.00
	योग	1901.25	1901.25

(रूपया उन्नीस करोड़ एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

ह॰/ (डा॰ शील अस्थाना) संयुक्त निदेशक कम-उप सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।